उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग–4
संख्याः 398/XXIV–4/2011
देहरादूनः दिनांक 05 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ संस्कृत शिक्षा (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड शैक्षिक (संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली–2011

भाग–1
सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शैक्षिक(संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड शैक्षिक (संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' एवं 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाऐं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग– 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है।

(ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है,

(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप के आधार पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड शैक्षिक (संस्कृत शिक्षा) सेवा अभिप्रेत है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2
संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाय, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी हैं परन्तु यह कि –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे या राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते है जैसा कि वे उचित समझें।

भाग—3
भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी,

अर्थात्:—

(1) सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा—

(क) 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) 50 प्रतिशत राजकीय संस्कृत विद्यालयों में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा—

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस को उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा में 10 वर्ष प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सेवा तथा अपने वेतनमान में 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा—

मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उत्तराखण्ड शैक्षिक (संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा में 10 वर्ष प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सेवा तथा अपने वेतनमान में 05 वर्ष की की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(4) निदेशक, संस्कृत शिक्षा—

मौलिक रूप से नियुक्त संयुवत निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य

/संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा में कुल 20 वर्ष तथा अपने वेतनमान में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशो के, अनुसार किया जायेगा।

भाग—4
अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01जनवरी,1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या,

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष

से अधिक अवधि के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8. सेवा में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिएं अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए:—

पद	अर्हता
सहायक निदेशक	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राच्य भाषा संस्कृत में आचार्य;
	(ख) भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बी0एड0 उपाधि (डी0फिल0/पी0एच0डी0 को वरीयता)।

अधिमानी अर्हता 9. अभ्यर्थी जिसने—

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट—कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(3) खेल प्रतियोगिताओं में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया हो, उसे अन्य बाते समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले मे अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उसके कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष हो जाने चाहिये और 35 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए:

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगन या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक परिस्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नही होगी :

परन्तु, यह कि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए जाने से पूर्व उसे आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग–5
भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग, विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित जायेगा, जिन्होंने

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किए। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के कम में सूची तैयार करेगा और नियुक्ति के लिये उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया:–

16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति, ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को छोड़कर के आधार पर की जायेगी।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) निदेशक, संस्कृत शिक्षा के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुक्रम के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन –अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव,संस्कृत शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड शासन के यथा स्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव –सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव या सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य

(घ) अपर सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन –सचिव सदस्य

(2) सहायक निदेशक, उपनिदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के

आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव। —अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तराखण्ड सरकार का विभाग या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर सचिव से अन्यून स्तर का हो। —सदस्य

(ग) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड। —सदस्य

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम/ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।

(4) चयन समिति द्वारा उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

(6) परिशिष्ट "क" के क्रम संख्या—1 से 3 एवं क्रमांक—4 पर सहाय निदेशक के 50 प्रतिशत पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6
नियुक्ति, परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति **19.** (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम–15, 16 एवं 17 यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम–18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है/किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम, नियम 18 के अनुरूप इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा 20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्व रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, पृथक–पृथक मामलों में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा

सकता है, जिसमें ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट की जायेगी जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परीवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परीवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा हैं तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाऐं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्त प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किए गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा

21. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए चुने गये सभी अभ्यर्थियों से ऐसे प्रशिक्षण पूरा करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। पदोन्नति द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों से सरकार

ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की भी अपेक्षा कर सकती है, जो वह समीचीन समझे।

स्थायीकरण 22. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थाई किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ङ) नियुक्त प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता 23. (1) एतद्पश्चात् की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित), नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :

परन्तु यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा। तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं

तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 19 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये ये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय:

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किए जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जाऐगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु अनुबन्ध यह है कि –

(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियॉं विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जितने कोटे के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे कर दी जाऐगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदो के विरूद्व नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या

वर्षों में की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जानी वाली सूची) चक्रीय वर्ष में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।

भाग–7–
वेतन आदि

वेतनमान

24. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "क" पर दिये गये है।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थाई सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जावेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के

पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने तथा स्थायी किए जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्वि के लिए नही गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्वि के लिए नहीं गिनी जाऐगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत् सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जाऐगा।

भाग--8

अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन 26. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अर्न्तगत नहीं आते, सेवा में नियुक्ति ऐसे व्यक्ति राज्य के

कार्यो से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में सेवाशर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में विभागीय हित में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें :

परन्तु यह कि जहॉं कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहॉं नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्ति

29. संस्कृत शिक्षा विभाग राज्य का नया विभाग होने के कारण क्रम सं0–4 पर सहायक निदेशक के 50 प्रतिशत पद, जो आयोग की परिधि के हैं, को छोड़कर परिशिष्ट 'क' के क्रम सं0 1 से 4 के अधिकारियों को अन्य विभागों से योग्यता के आधार पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर लिये जाने के उपरान्त संस्कृत शिक्षा संवर्ग में समायोजित /पदोन्नति किया जा सकेगा।

व्यावृत्ति

30. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित, हो।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट "क"

{कृपया नियम 4 का उपनियम (2) एवं नियम 24 का उपनियम (2) देखें}

क0सं0	पद नाम	पूर्व वेतनमान (र में)	वेतनमान (र में)/ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	14300–18300	37400–67000 / 8700	01 (एक)
2.	संयुक्त निदेशक	12000–16500	15600–39100 / 7600	01 (एक)
3.	उप निदेशक	10000–15200	15600–39100 / 6600	01 (एक)
4.	सहायक निदेशक	8000–13500	15600–39100 / 5400	13 (तेरह)